भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3636

(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण सड़कें

3636. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में पिछले वर्षाकाल के दौरान जिला-वार कितनी ग्रामीण सड़कों की पहचान अत्यधिक क्षतिग्रस्त अथवा अगम्य के रूप में की गई है और विगत पांच वर्षों में इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए थे;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान इन सड़कों पर दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की रिपोर्ट की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए वर्षवार और जिलावार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई, और

(घ) प्रतिकूल मौसम, विशेषकर भारी वर्षा के दौरान वर्षा का सामना करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण सड़क निर्माण की गुणवत्ता और टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि पिछले बरसाती मौसम के दौरान कुल 493.87 किलोमीटर लंबाई की 138 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सड़कों की पहचान विशेष रूप से क्षतिग्रस्त या अगम्य सड़कों के रूप में की गई है। इसका जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं	जिले का नाम	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)
1	गुंटूर	45	180.73
2	कृष्णा	36	80.71

3	प्रकाशम	6	18.02
4	श्रीकाकुलम	7	37.75
5	विशाखापत्तनम	14	84.62
6	विजयनगरम	2	6.97
7	पश्चिम गोदावरी	28	85.07
कुल		**138**	**493.87**

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी सड़क की स्थिति निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड 1 से 5 तक के पीसीआई (फुटपाथ स्थिति सूचकांक) मूल्यों पर आधारित होते हैं। ये निम्नानुसार हैं:

पीसीआई मूल्य	सतह की स्थिति	ड्राइविंग गति
1	बहुत खराब	<10 किमी/घंटा
2	खराब	10 से 20 किमी/घंटा
3	संतोषजनक	20 से 30 किमी/घंटा
4	अच्छी	30 से 40 किमी/घंटा
5	बहुत अच्छी	>40 किमी/घंटा

(ख) राज्य के पास ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ग) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष 2024-25 के दौरान (13.12.2024 की स्थिति के अनुसार) ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए कुल 6,976.79 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से राज्य द्वारा 3,294.33 लाख रुपये का उपयोग किया गया है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सड़कों के रखरखाव पर राज्य द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	**आवंटित निधियां**	**उपयोग की गई निधियां**
2019-20	0	39.16
2020-21	1500.00	939.53
2021-22	773.60	422.59
2022-23	1286.09	408.64
2023-24	1346.73	1029.01
2024-25 (13.12.2024 की स्थिति के अनुसार)	2070.37	455.40
कुल	**6976.79**	**3294.33**

रखरखाव निधि के आवंटन और उपयोग का जिलावार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) पीएमजीएसवाई में सड़क निर्माण के दौरान सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्री स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की परिकल्पना की गई है। इस तंत्र का प्रथम स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण है। द्वितीय स्तर को राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी के रूप में संरचित किया गया है , जिसमें पीएमजीएसवाई कार्यों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान किया गया है। तृतीय स्तर केन्द्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र है। इस स्तर के अंतर्गत, पीएमजीएसवाई सड़कों के निरीक्षण के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) को नियुक्त किया जाता है। योजना में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि द्वितीय और तृतीय स्तर पर स्वतंत्र निगरानीकर्ता प्रत्येक सड़क कार्य के लिए कार्य स्थल पर कम से कम 10 डिजिटल फोटोग्राफ लें , जिसमें एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला भी शामिल हो , तथा निरीक्षण रिपोर्ट को पीएमजीएसवाई कार्यक्रम प्रबंधन एवं निगरानी वेबसाइट अर्थात ओएमएमएएस पर अपलोड करें, ताकि कार्यक्रम के तहत निष्पादित किए जा रहे सड़क कार्यों की गुणवत्ता को आम जनता के लिए देखना आसान हो सके। इसके अलावा उक्त निरीक्षण रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

इसके अलावा , पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी को बढ़ावा देने के लिए , पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि एक अंचल / क्षेत्र का अधीक्षण अभियंता संबंधित अंचल / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य और जिला पंचायत प्रमुख से छह महीने में एक बार संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी भी पीएमजीएसवाई परियोजना का चयन करने का अनुरोध करेगा। इसी प्रकार, किसी प्रभाग के प्रभारी कार्यकारी अभियंता विधायक/संबंधित मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष से तीन माह में एक बार संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध करेंगे तथा सब-डिवीजन के प्रभारी सहायक अभियंता संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से दो माह में एक बार संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी पीएमजीएसवाई परियोजना का चयन करने के लिए अनुरोध करेंगे।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3636 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों के दौरान रखरखाव निधि के आवंटन और उपयोग का जिला-वार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		आवंटित धन	उपयोग की गई निधि	आवंटित धन	उपयोग की गई निधि	आवंटित धन	उपयोग की गई निधि	आवंटित धन	उपयोग की गई निधि	आवंटित धन	उपयोग की गई निधि	आवंटित धन	उपयोग की गई निधि
1	अनंतपुर		2.24		193.65		29.00		39.00		67.25		25.09
2	चित्तूर		8.25		69.39		13.42		0.00		228.97		0.00
5	कडप्पा		0.98		17.80		28.86		0.00		13.03		11.31
3	पूर्वी गोदावरी		3.27		57.96		30.77		27.39		46.62		32.37
4	गुंटूर		2.62		89.95		32.25		25.19		46.33		31.76
6	कृष्णा		2.17		49.11		11.62		8.42		29.30		15.44
7	कुरनूल	0.00	2.89	1500	69.02	773.60	7.39	1286.09	32.79	1346.73	69.87	2070.37	12.74
8	नेल्लोर		7.40		52.70		35.98		1.52		39.51		31.06
9	प्रकाशम		2.36		17.36		7.23		0.00		35.31		37.23
10	श्रीकाकुलम		2.99		43.18		22.12		87.49		81.40		23.33
11	विशाखापत्तनम		0.23		180.33		129.84		178.50		264.36		181.13
12	विजयनगरम		1.93		57.32		23.71		8.08		95.09		43.06
13	पश्चिम गोदावरी		1.84		41.77		50.38		0.26		11.99		10.89
	कुल	**0.00**	**39.16**	**1500**	**939.53**	**773.60**	**422.59**	**1286.09**	**408.64**	**1346.73**	**1029.01**	**2070.37**	**455.40**